आदेश दिनांक 15.02.2024.

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 14.02.2024 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि वादीगण/अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस प्रस्तुत किया। जिसके सलंग्न एक प्रार्थना पत्र एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम भी प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पूर्वज एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 66 की संयुक्त सह खातेदारी/सह-काश्तकारी भूमि वाकै मौजा ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद मे अवस्थित है। वादग्रस्त आराजी के अपीलांटस के पूर्वज टीकू वल्द भूरा व रेस्पोडेन्टस रेकार्डेड खातेदार है तथा अपीलांटस का अपने पूर्वज टीकू वल्द भूरा द्वारा पुश्तैनी हिस्से में प्राप्त आराजी का आज दिनांक तक कब्जा है किन्तु रेस्पोडेन्टस राजस्व अधिकारियों द्वारा अपीलांटस की खातेदारी भूमि से बेदखल करने पर आमादा अग्रसर तत्पर है जिससे रेस्पोडेन्टस को पाबंद किया जावें कि वह अपीलांटस की खातेदारी भूमि में दखल एवं बाधा कारिज नहीं करें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.01.2024 को धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए स्थगन पर कोई आदेश नही देते हुए विपक्षीगण को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने मान्नीय न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को वाद पत्र के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजीयात को सुंरक्षित रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना न्यायोचित था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर केवल मात्र विपक्षीगण को नोटिस जारी करने का आदेश पारित कर दिया। जिसकी आड़ में अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र रहन, बय व मुन्तकिल करने तथा मौके व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाने पर आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अभिभाषक अपीलांटस की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 01.01.2024 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। मान्नीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा केवल मात्र अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं अनावश्यक वाद बाहुल्यता को रोकने एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण तीन सप्ताह में करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

निर्देशित करना उचित समझते है। अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दोनो पक्षों को सुनकर तीन सप्ताह में आवश्यक रूप से करें। अभिभाषक अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.02.2024 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

15.2.24

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर